फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती भंवरकुंवर **विपक्षी : श्री पुनमचन्द्र**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 56/18**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 15.02.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी सं. 2, 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज हैं। दस्तावेज के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा तत्कालीन खातेदार कालु से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.08.2006 से भूमि क्रय की है परन्तु उक्त विक्रय का नामान्तरकरण पारित नहीं होने से भूमि तत्कालीन खातेदार कालु के नाम ही चली आ रही थी। तत्पश्चात् कालु की ओर से मुख्तियार आम चेतन देव द्वारा वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.04.2010 को पूनमचन्द विपक्षी सं. 1 को विक्रय कर नामान्तरकरण पारित करवा दिया। प्रार्थीया द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज किये जाने हेतु घोषणा का वाद प्रस्तुत किया हैं उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हैं। यदि विपक्षी सं. 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी सं. 1 उक्त भूमि को विक्रय कर देता है तो इससे प्रार्थीयां के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीयां के पक्ष में साबित होते हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर मेरिट पर तय किये जावेगें। अतः विपक्षी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर किया जाता है कि मौजा वांगरोदी पटवार हल्का भीमल की आराजी नम्बर 258 किता 1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि में विपक्षी सं. 1 मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:02:13 IST
Reason: SelfAttested

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली